Government of NCT of Delhi
Transport Department
5/9, Under Hill Road, Delhi – 110054

PUBLIC NOTICE

The Draft Reciprocal Agreement with regard to operation of Stage Carriage Buses on inter-State routes between the Union Territory of Delhi and the State of Bihar has been uploaded on the official website of the Transport Department, GNCTD i.e. (https://transport.delhi.gov.in) for information of all stakeholders including the general public.

Feedback/comments on the above are invited till **05 .09.2026** through the following modes:

By E-mail: tptassta@gmail.com
By Post: Assistant Secretary (STA), Transport Department, GNCTD,5/9 Under Hill Road, Delhi – 110054

Submissions received after the stipulated period shall not be considered.

-sd-

JOINT COMMISSIONER (STA)

दिल्ली सरकार (NCT)

परिवहन विभाग

5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली – 110054

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और बिहार राज्य के बीच अंतर-राज्यीय मार्गों पर स्टेज कैरिज बसों के संचालन से संबंधित आपसी समझौते (Reciprocal Agreement) का ड्राफ्ट, आम जनता सहित सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए परिवहन विभाग, GNCTD की आधिकारिक वेबसाइट (https://transport.delhi.gov.in) पर अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्त पर 05.09.2026 तक, निम्नलिखित तरीकों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं:

ई-मेल द्वारा: tptassta@gmail.com

डाक द्वारा: सहायक सचिव (STA), परिवहन विभाग, GNCTD, 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली – 110054

निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

-sd-

संयुक्त आयुक्त (STA)

[दिल्ली राजपत्र भाग-IV असाधारण में प्रकाशनार्थ]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (परिवहन विभाग)

5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054

दिल्ली

_________ अप्रैल, 2026

फा. सं. एएस/एसटीए/परि०/2026/सीडी संख्या ___________________

जबकि, देश के तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा बिहार राज्य के बीच अंतर-राज्यीय मार्गों पर परिवहन वाहनों की आवाजाही को प्रोत्साहित करने तथा उनके परिचालन को विनियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से, पारस्परिक परिवहन समझौता करना आवश्यक समझा जाता है। अब इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (5) के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा बिहार सरकार के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता करने का प्रस्ताव करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा बिहार राज्य के साथ पारस्परिक परिवहन समझौते का प्रारूप प्रकाशित करते हैं और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति से पहले या उस तिथि तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054 के नाम भेजे जाने चाहिए या ईमेल द्वारा commtpt@nic.in या tptassta@gmail.com पर भेजे जाने चाहिए ।

<u>पारस्परिक समझौते का प्रारूप</u>

1. यह समझौता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(6) के अंतर्गत संबंधित राज्यों के शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. स्टेज कैरिज का परिचालन निम्नलिखित तरीके से नियंत्रित किया जाएगा:-

2.1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा बिहार राज्य के बीच अंतर-राज्यीय मार्गों पर स्टेज कैरिज बसों के परिचालन के संबंध में पारस्परिक समझौता अनुलग्नक-क के अनुसार होगा।

2.2 जहां अनुलग्नक-क में उल्लिखित मार्ग का कोई भाग बिहार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अतिरिक्त अन्य राज्यों में स्थित है, तो उस अन्य राज्य में स्थित मार्ग के भाग पर परिचालन, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(6) के अंतर्गत उस अन्य राज्य के साथ हस्ताक्षरित पारस्परिक समझौते के पश्चात् ही आरम्भ होगा।

2.3 राज्य परिवहन उपक्रम/राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों से लाइसेंस प्राप्त राज्य परिवहन उपक्रमों या अन्य निजी बस संचालकों के अतिरिक्त, किसी अन्य को स्टेज कैरिज के लिए कोई परमिट/लाइसेंस प्रदान या प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, जो कानून के अनुसार हो।

2.4 यदि किसी कारणवश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 99 तथा 100 के अंतर्गत परिवहन योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण या परमिट की समाप्ति से पूर्व उसके नवीनीकरण के आवेदन पर निर्णय लेने में असमर्थता के कारण नियमित स्टेज कैरिज परमिट जारी करना संभव नहीं हो पाया है, तो गृह राज्य, अधिनियम की धारा 87(1)(घ) के अंतर्गत चार माह तक की अवधि के लिए अस्थायी परमिट जारी कर सकता है, जिसकी सूचना पारस्परिक राज्य को दी जाएगी और ऐसे अस्थायी परमिट के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(7) के अंतर्गत पारस्परिक राज्य की सहमति आवश्यक होगी।

2.5 नियमित/अस्थायी परमिट जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर, परमिट धारक को संबंधित राज्य को प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमे असफल होने पर कानून के अनुसार स्वीकृत परमिट रद्द किया जा सकता है।

2.6 पारस्परिक राज्य की स्टेज कैरिजों पर संबंधित राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित लोगो या प्रतिक चिह्न प्रदर्शित किया जाएगा।

2.7 इस समझौते के प्रयोजनार्थ एक यात्रा का अर्थ एक ही यात्रा होगा। अनुलग्नक-क में उल्लिखित मार्ग का अर्थ दोनों राज्यों में स्थित दो टर्मिनलों को उसमें उल्लिखित पारगमन बिंदुओं के माध्यम से जोड़ने वाला सबसे छोटा सीधा मार्ग होगा तथा अनुलग्नक में दर्शाए गए किलोमीटर में बाद में पाई गई किसी भी विसंगति को दोनों राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों के बीच पत्राचार के माध्यम से तुरंत ठीक किया जाएगा और इसे समझौते का आशोधन नहीं माना जाएगा।

2.8 अनुलग्नक-क में उल्लिखित मार्गों पर चलने वाली स्टेज कैरिजों की समय सारिणी आपसी परामर्श के बाद तय की जाएगी।

2.9 किराया, भाड़ा तथा बस स्टॉप/स्टेशन संबंधित राज्यों में समय-समय पर प्रचलित प्रावधानों/व्यवस्थाओं के अनुसार होंगे। एक राज्य में जारी किए गए टिकट दूसरे राज्य में भी वैध मानित होंगे।

2.10 इस समझौते के अंतर्गत आने वाले किसी भी अंतरराज्यीय मार्ग पर नए स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने या किसी मौजूदा अंतरराज्यीय मार्ग पर यात्रा की संख्या बढ़ाने हेतु किसी भी प्रस्ताव पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही विचार किया जाएगा और सख्ती से प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें जहां भी लागू हो, धारा 88 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया भी शामिल है। ऐसे परमिट प्रदान करना या

यात्रा की संख्या में वृद्धि स्वतः इस समझौते का हिस्सा नहीं मानी जाएगी और यह लागू वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् तथा यदि विधि द्वारा आवश्यक हो तो समझौते में आशोधन/पूरक करने के बाद ही प्रभावी होगी।

2.11 स्टेज कैरिज बसों की पार्किंग के लिए अनुमत आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त स्थलों (यदि कोई हो) को छोड़कर, दिल्ली के अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से आरम्भ तथा समाप्त होने वाले मार्गों का परिचालन परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 31.12.1997 को जारी अधिसूचना के अनुसार होगा, जो एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.11.1997 के निर्देशों के अनुपालन में है, जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित है ।

2.12 इस समझौते की शर्तों के अंतर्गत किसी राज्य द्वारा जारी किए गए परमिटों का निपटान/प्रतिहस्ताक्षर सामान्यतः संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव की अनुशंसा पर क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अधिमानतः 20 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, बशर्ते कि प्रतिहस्ताक्षर शुल्क तथा संबंधित राज्य को देय अन्य करों का भुगतान किया गया हो।

3. कराधान:

3.1 प्रत्येक राज्य, यदि लागू हो, तो मार्ग/सड़क दूरी तथा संबंधित राज्यों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कराधान प्रावधानों के अनुसार किराया/यात्री कर वसूल करेगा।

3.2 स्टेज कैरिज के लिए लाइसेंस/परमिट शुल्क/प्रतिहस्ताक्षर शुल्क संबंधित राज्यों द्वारा उनकी नीतियों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

3.3 इस समझौते के अंतर्गत आने वाले मार्गों पर चलने हेतु वाहन पर, एक बार गृह राज्य में देय करों का भुगतान हो जाने और अन्य पारस्परिक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त हो जाने के बाद, पारस्परिक राज्य द्वारा इस समझौते के अंतर्गत आने वाले वाहन पर कोई विशेष सड़क कर (एसआरटी)/मोटर वाहन कर (एमवीटी)/यात्री कर नहीं लगाया जाएगा, सिवाय इसके कि कानून के अंतर्गत अन्यथा अनुमति हो।

4. सामान्य शर्तें:

4.1 पारस्परिक राज्य, इस समझौते तथा लागू कानून के अनुसार, अंतर-राज्यीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों के संबंध में, इनमें से प्रत्येक राज्य के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत जारी किए गए कर टोकन, चालकों और परिचालकों के लाइसेंस, परिवहन वाहन प्राधिकरण तथा फिटनेस प्रमाणपत्रों को मान्यता देंगे।

4.2 इस समझौते के अंतर्गत पारस्परिक राज्य में केवल डीजल वाहनों के मामले में बीएस-VI या उससे नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले वाहन, या सीएनजी बसें या

इलेक्ट्रिक बसें ही चलाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि कानून, न्यायलय के आदेशों या शासकीय निर्देशों द्वारा कोई सख्त आवश्यकता लागू न हो।

4.3 स्टेज कैरिज वाहनों के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु डीजल वाहनों हेतु दस वर्ष तथा पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए पंद्रह वर्ष तक सीमित रहेगी, जब तक कि इस संबंध में कोई और निर्देश जारी नहीं किया जाता। यद्यपि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और भारत सरकार/सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश, जहां भी लागू हों, इन प्रावधानों पर सर्वोपरि प्रभाव रखेंगे।

4.4 सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों (लागू सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना/आदेश द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त वाहनों को छोड़कर) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 28.11.2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 1095(ई), समय-समय पर यथा अद्यतित के अनुसरण में अनिवार्य रूप से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) तथा एक या अधिक आपातकालीन बटन लगे होने चाहिए।

4.5 यदि किसी राज्य परिवहन उपक्रम या पारस्परिक राज्य के संचालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों या इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो मामले को यथासंभव संबंधित राज्य परिवहन उपक्रम के प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में उचित उपचारात्मक या विभागीय कार्रवाई के लिए लाया जा सकता है। बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किसी भी वैधानिक शक्तियों के प्रयोग को प्रतिबंधित, सीमित या अन्यथा प्रभावित करने के रूप में नहीं समझी जाएगी, जिसमें कानून द्वारा अनुमत ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति भी शामिल है।

4.6 बसें, संबंधित पक्षों द्वारा आवंटित किए जाने वाले निर्दिष्ट बस टर्मिनलों से शुरू तथा समाप्त होंगी।

4.7 क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही से संबंधित न्यायालय के आदेशों/निर्दिष्ट निर्देशों का पालन तथा अनुपालन किया जाएगा।

4.8 यह समझौता हस्ताक्षर की तिथि से दस वर्षों के लिए या ऐसे समय तक सहभागी राज्यों के मध्य कोई नया समझौता होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। सहभागी राज्यों की आपसी सहमति से इस समझौते को अतिरिक्त अवधि के लिए और ऐसे आशोधनों के साथ बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सहमति से तय किया जाए। किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय इस समझौते की समीक्षा आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

4.9 बाद के चरण में पाई गई किसी भी विसंगति को पारस्परिक राज्यों की आपसी सहमति से सुधारा जा सकता है, बशर्ते कि समझौते की शर्तों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला सुधार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ही प्रभावी किया जाएगा।

4.10 इस समझौते की व्याख्या, कार्यान्वयन, परिचालन या कार्यक्षेत्र से संबंधित सहभागी राज्यों के मध्य उत्पन्न किसी भी विवाद, मतभेद या मुद्दे को सर्वप्रथम सहभागी राज्यों के परिवहन विभागों/राज्य परिवहन प्राधिकरणों के आपसी परामर्श से हल किया जाएगा। यदि मामला अनसुलझा रहता है, तो इसे परामर्श तथा आपसी सहमति के माध्यम से समाधान हेतु सहभागी राज्यों के प्रशासनिक सचिवों/परिवहन आयुक्तों को भेजा जा सकता है।

4.11 इस समझौते के प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन पढ़े जाएंगे और लागू किए जाएंगे। विशेष रूप से, सहभागी राज्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(5) और 88(6) तथा पारस्परिक परिवहन व्यवस्था को नियंत्रित करने, परमिट देने, प्रतिहस्ताक्षर, प्रारूप समझौतों के प्रकाशन, आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने एवं ऐसे समझौतों को अंतिम रूप देने से संबंधित किसी भी अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

पारस्परिक परिवहन समझौते के अंतर्गत दिल्ली तथा बिहार के बीच चलने वाली बसों के प्रस्तावित मार्ग (अनुलग्नक-क)								
क्र0 सं0	**मार्ग का नाम**	**निम्न के माध्यम से मार्ग**	**परमिट कोटा**		**मार्ग की दूरी**			**कुल (किमी)**
			दिल्ली	**बिहार**	**दिल्ली**	**ऊ0प्र0**	**बिहार**	
1	दिल्ली से अररिया	नोएडा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, चकिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फॉरबिसगंज	12	12	12	933	403	1348
2	दिल्ली से बिहारशरीफ	नोएडा, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़, बक्सर, आरा, पटना	12	12	12	907	190	1109
3	दिल्ली से भागलपुर	नोएडा, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मोहनिया, फथुआ, मुंगेर	12	12	12	834	434	1280
4	दिल्ली से बक्सर	हापुड, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, आजमगढ़	12	12	12	898	5	915
5	दिल्ली से दरभंगा	नोएडा, मथुरा, इटवा, फ़तेहपुर, वाराणसी, मोहनिया, आरा, मुज़फ़्फ़रपुर	12	12	12	833	322	1167
6	दिल्ली से पूर्वी चंपारण	नोएडा, मथुरा, इटावा, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, मोतिहारी	12	12	12	935	96	1043
7	दिल्ली से गया जी	नोएडा, लखनऊ, बक्सूर, दाउदनगर	12	12	12	907	159	1078
8	दिल्ली से गया जी	नोएडा, आगरा, इटावा, कानपुर, मोहनिया, औरंगाबाद	12	12	12	833	197	1042
9	दिल्ली से किशनगंज	आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया	12	12	12	833	571	1416
10	दिल्ली से मधुबनी	नोएडा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा	12	12	12	935	251	1198
11	दिल्ली से मुजफ्फरपुर	नोएडा, मथुरा, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, मोतिहारी	12	12	12	934	164	1110
12	दिल्ली से मुजफ्फरपुर	नोएडा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, आरा, हाजीपुर	12	12	12	830	278	1120
13	दिल्ली से नवादा	नोएडा, आगरा, चंदौली, औरंगाबाद, डोभी, गया जी	12	12	12	930	264	1206
14	दिल्ली से पटना	नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बक्सर, आरा	12	12	12	905	142	1059
15	दिल्ली से पटना	नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, आरा	12	12	12	831	219	1062
16	दिल्ली से पटना	नोएडा, अलीगढ़, लखनऊ, आजमगढ़, सीवान, छपरा	12	12	12	857	176	1045
17	दिल्ली से पटना	नोएडा, मथुरा, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर	12	12	12	935	235	1182
18	दिल्ली से पूर्णिया	नोएडा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फॉरबिसगंज	12	12	12	935	443	1390

पारस्परिक परिवहन समझौते के अंतर्गत दिल्ली तथा बिहार के बीच चलने वाली बसों के प्रस्तावित मार्ग (अनुलग्नक-ख)								
क्र0 सं0	मार्ग का नाम	निम्न के माध्यम से मार्ग	परमिट कोटा		मार्ग की दूरी			कुल (किमी)
			दिल्ली	बिहार	दिल्ली	ऊ0प्र0	बिहार	
1	अररिया से दिल्ली	फॉरबिसगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चकिया, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा	12	12	12	933	403	1348
2	बिहारशरीफ से दिल्ली	पटना, आरा, बक्सर, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा, नोएडा	12	12	12	907	190	1109
3	भागलपुर से दिल्ली	मुंगेर, फथुआ, मोहनिया, वाराणसी, कानपुर, आगरा, नोएडा	12	12	12	834	434	1280
4	बक्सर से दिल्ली	आजमगढ़, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़	12	12	12	898	5	915
5	दरभंगा से दिल्ली	मुज़फ़्फ़रपुर, आरा, मोहनिया, वाराणसी, फ़तेहपुर, इटावा, मथुरा, नोएडा	12	12	12	833	322	1167
6	पूर्वी चंपारण से दिल्ली	मोतिहारी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, इटावा, मथुरा, नोएडा	12	12	12	935	96	1043
7	गया जी से दिल्ली	दाउदनगर, बक्सर, लखनऊ, नोएडा	12	12	12	907	159	1078
8	गया जी से दिल्ली	औरंगाबाद, मोहनिया, कानपुर, इटावा, आगरा, नोएडा	12	12	12	833	197	1042
9	किशनगंज से दिल्ली	अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा	12	12	12	833	571	1416
10	मधुबनी से दिल्ली	दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा	12	12	12	935	251	1198
11	मुजफ्फरपुर से दिल्ली	मोतिहारी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, नोएडा	12	12	12	934	164	1110
12	मुजफ्फरपुर से दिल्ली	हाजीपुर, आरा, मोहनिया, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, नोएडा	12	12	12	830	278	1120
13	नवादा से दिल्ली	गया जी, डोभी, औरंगाबाद, चंदौली, आगरा, नोएडा	12	12	12	930	264	1206
14	पटना से दिल्ली	आरा, बक्सर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, नोएडा	12	12	12	905	142	1059
15	पटना से दिल्ली	आरा, मोहनिया, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, नोएडा	12	12	12	831	219	1062
16	पटना से दिल्ली	छपरा, सीवान, आजमगढ़, लखनऊ, अलीगढ, नोएडा	12	12	12	857	176	1045
17	पटना से दिल्ली	मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, नोएडा	12	12	12	935	235	1182
18	पूर्णिया से दिल्ली	फॉरबिसगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा	12	12	12	935	443	1390

[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART - IV EXTRA - ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(TRANSPORT DEPARTMENT)
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-110054
Delhi,

_________ April, 2026

No. F. No. AS/STA/TPT/2026/CD No. ____________________ –

Whereas, in view of the rapid economic development of the country and with a view to encourage movement of transport vehicles on the inter-State routes between the Government of NCT of Delhi and the State of Bihar and to regulate and control their operation, it is considered necessary to enter into a Reciprocal Transport Agreement. Now, therefore, in pursuance of sub-section (5) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the GNCT of Delhi hereby proposes to enter into a Reciprocal Transport Agreement with the Government of Bihar. The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby publishes the draft Reciprocal Transport Agreement with the State of Bihar and notice is hereby given that any representation in connection therewith may be submitted on or before expiry of 30 days from the date of publication in the Official Gazette.

Objections or suggestions in this regard shall be addressed to the Secretary-cum-Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054 or on email at commtpt@nic.in or tptassta@gmail.com.

Draft Reciprocal Agreement

1. This Agreement shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette of the respective States under Section 88(6) of the Motor Vehicles Act, 1988.

2. The operation of stage carriages shall be governed in the following manner:-

2.1 Reciprocal Agreement with regard to operation of Stage Carriage Buses on inter-State routes between the Union Territory of Delhi and the State of Bihar shall be as per Annexure-A.

2.2 Where a part of the route mentioned in Annexure-A lies in States other than the State of Bihar and Union Territory of Delhi, the operation on the part of the route lying in that other State shall commence only after the reciprocal agreement signed under Section 88(6) of the Motor Vehicles Act, 1988 with that other State.

2.3 No permit / licence for stage carriage shall be granted or countersigned, other than that of State Transport Undertakings or other private bus operators under licence from the State Transport Undertaking / State or Regional Transport Authorities, in accordance with law.

2.4 If for any reason it has not been possible to grant regular stage carriage permits due to pending finalization of the Transport Scheme under Sections 99 and 100 of the Motor Vehicles Act, 1988 or to decide an application for renewal of the permit before its expiry, the home State may issue temporary permits under Section 87(1)(d) of the Act for a period up to four months under intimation to the reciprocating State and such temporary permits shall require concurrence of the reciprocating State under Section 88(7) of the Motor Vehicles Act, 1988.

2.5 Within 15 days from the date of issuance of regular / temporary permit, the permit holder shall submit an application for countersignature to the concerned State, failing which the granted permit may be revoked in accordance with law.

2.6 The stage carriages of the reciprocating State shall display logo or legend as prescribed by the State Transport Authorities of the concerned States.

2.7 A trip for the purpose of this Agreement shall mean one single trip. The route mentioned in Annexure-A shall mean the shortest direct route connecting the two terminals lying in the two States through the via points mentioned therein and any discrepancy discovered later in the kilometrage shown in the Annexure shall promptly be corrected through correspondence between the Transport Authorities of the two States and shall not be treated as modification of the Agreement.

2.8 The timetable for stage carriages plying on the routes mentioned in Annexure-A shall be fixed after mutual consultation.

2.9 Fares, freights and bus stops / stations shall be in accordance with the prevailing provisions / arrangements in the respective States from time to time. The form of tickets issued in one State shall be deemed to be valid in the other State.

2.10 Any proposal for grant of a new stage carriage permit on an inter-State route covered under this Agreement, or for increase in the number of trips on an existing inter-State route, shall be considered and processed strictly in accordance with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules framed thereunder, including the procedure prescribed under Section 88 thereof, wherever applicable. Such grant of permit or increase in trips shall not be deemed to form part of this Agreement automatically and shall take effect only after completion of the

applicable statutory procedure and upon such modification / supplementation of the Agreement, if required in law.

2.11 The operation of the routes originating and terminating at the Interstate Bus Terminus of Delhi, excluding the additional points other than ISBTs allowed for parking of stage carriage buses (if any), shall be according to the notification issued by Transport Department, GNCTD on 31.12.1997 in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court of India dated 20.11.1997 in the matter of M.C. Mehta v. Union of India & Others, as amended from time to time.

2.12 Permits issued within the terms of this Agreement by a State should normally be disposed of / countersigned preferably within 20 days on presentation before the Regional / State Transport Authority on the recommendation of the Secretary, Regional / State Transport Authority of the concerned States, subject to payment of countersignature fee and other taxes due to the respective State.

3. Taxation:

3.1 Each State shall charge fare / passenger tax, if applicable, in accordance with the route / road distance and the taxation provisions notified by the respective States from time to time.

3.2 The licence / permit fee / countersignature fee for stage carriages shall be fixed by the respective States as per their policies and statutory provisions.

3.3 No Special Road Tax (SRT) / Motor Vehicles Tax (MVT) / Passenger Tax shall be charged by the reciprocating State on the vehicle covered under this Agreement, once the taxes payable in the home State have been paid by such vehicle and countersignature has been granted by the other reciprocating State, for plying on the route covered under this Agreement, except as otherwise permissible under law.

4. General conditions:

4.1 The reciprocating States shall accord recognition to the tax tokens, drivers' and conductors' licences, transport vehicle authorisations and certificates of fitness issued under the relevant rules of each of these States in respect of vehicles operating on inter-State routes, in accordance with this Agreement and the applicable law.

4.2 Only vehicles complying with BS-VI or newer emission norms in case of diesel vehicles, or CNG buses or electric buses, shall be allowed to ply in the reciprocating State under this Agreement, subject to any stricter requirement imposed by law, court orders or governmental directions.

4.3 The age of stage carriage vehicles as well as contract carriage vehicles shall be limited to ten years for diesel vehicles and fifteen years for petrol / CNG vehicles, till any further directions are issued in this regard. However, directions of the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble NGT and Government of India / MoRTH, as applicable, shall have overriding effect on these provisions.

4.4 All Public Service Vehicles (except those specifically exempted by the applicable MoRTH notification / order) shall be mandatorily fitted with Vehicle Location Tracking Device (VLTD) and one or more emergency buttons in compliance with Notification No. GSR 1095(E) dated 28.11.2016 of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, as updated from time to time.

4.5 In the event of any breach of the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, the rules framed thereunder, or the terms of this Agreement by a State Transport Undertaking or operator of the reciprocating State, the matter may, as far as practicable, be brought to the notice of the Head of the concerned State Transport Undertaking / competent authority for appropriate remedial or departmental action. Provided that nothing contained in this clause shall be construed as restricting, curtailing, or otherwise affecting the exercise of any statutory powers by the competent authorities under the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules framed thereunder, including the power to take such action as may be permissible in law.

4.6 Buses shall originate and terminate at designated bus terminals to be allocated by the concerned parties.

4.7 Court orders / directions specific to movement of vehicles in the area shall be adhered to and complied with.

4.8 This Agreement shall remain valid for ten years from the date of signing, or till such time a new agreement is signed between the participating States, whichever is earlier. The Agreement may be extended with mutual consent of the participating States for such further period and with such modifications as may be agreed. The Agreement may also be reviewed at any time by giving one month's notice by either party, if need arises.

4.9 Any discrepancy discovered at a later stage may be corrected with mutual consent of the reciprocating States, provided that no correction involving a substantive change in the terms of the Agreement shall be given effect to except in accordance with the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules framed thereunder.

4.10 Any dispute, difference or issue arising between the participating States in relation to the interpretation, implementation,

operation or scope of this Agreement shall, in the first instance, be resolved through mutual consultation between the Transport Departments / State Transport Authorities of the participating States. If the matter remains unresolved, it may be referred to the Administrative Secretaries / Transport Commissioners of the participating States for resolution through consultation and mutual agreement.

4.11 The provisions of this Agreement shall be read and implemented subject to the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules framed thereunder, as amended from time to time. In particular, the participating States shall ensure due compliance with Sections 88(5) and 88(6) of the Motor Vehicles Act, 1988 and any other applicable statutory provisions governing reciprocal transport arrangements, grant of permits, countersignatures, publication of draft agreements, consideration of objections / suggestions and finalization of such agreements.

Proposed Routes of Buses to ply between Delhi and Bihar under Reciprocal Transport Agreement (Annexure -A)

Sl. No.	Route Name	Route Via	Permit Quota		Route Distance			Total (km)
			Delhi	Bihar	Delhi	UP	Bihar	
1	Delhi to Arariya	Noida, Agra, Lucknow, Gorakhpur, Gopalganj, Chakia, Muzaffarpur, Darbhanga, Forbisganj	12	12	12	933	403	1348
2	Delhi to Biharsharif	Noida, Agra, Lucknow, Ajamgarh, Buxar, Ara, Patna	12	12	12	907	190	1109
3	Delhi to Bhagalpur	Noida, Agra, Kanpur, Varanasi, Mohania, Fathua, Munger	12	12	12	834	434	1280
4	Delhi to Buxar	Hapur, Moradabad, Bareli, Lucknow, Ajamgarh	12	12	12	898	5	915
5	Delhi to Darbangha	Noida, Mathura, Itawa, Fatehpur, Varanasi, Mohniya, Ara, Muzaffarpur	12	12	12	833	322	1167
6	Delhi to East Champaran	Noida, Mathura, Itawa, Lucknow, Gorakhpur, Gopalganj, Motihari	12	12	12	935	96	1043
7	Delhi to Gaya ji	Noida, Lucknow, Baxur, Daudnagar	12	12	12	907	159	1078
8	Delhi to Gaya ji	Noida, Agra, Itawa, Kanpur, Mohniya, Aurangabad	12	12	12	833	197	1042
9	Delhi to Kishanganj	Agra, Lucknow, Gorakhpur, Deoria, Darbhanga, Purnea, Araria	12	12	12	833	571	1416
10	Delhi to Madhubani	Noida, Agra, Lucknow, Gorakhpur, Gopalganj, Muzaffarpur, Darbhanga	12	12	12	935	251	1198
11	Delhi to Muzaffarpur	Noida, Mathura, Lucknow, Gorakhpur, Gopalganj, Motihari	12	12	12	934	164	1110
12	Delhi to Muzaffarpur	Noida, Agra, Kanpur, Prayagraj, Varanasi, Mohniya, Ara, Hajipur	12	12	12	830	278	1120
13	Delhi to Nawada	Noida, Agra, Chandoli, Aurangabad, Dobhi, Gaya Ji	12	12	12	930	264	1206
14	Delhi to Patna	Noida, Mathura, Agra, Lucknow, Buxar, Ara	12	12	12	905	142	1059
15	Delhi to Patna	Noida, Mathura, Agra, Itawa, Kanpur, Prayagraj, Varanasi, Mohniya, Ara	12	12	12	831	219	1062
16	Delhi to Patna	Noida, Aligarh, Lucknow, Ajamgarh, Siwan, Chapra	12	12	12	857	176	1045
17	Delhi to Patna	Noida, Mathura, Lucknow, Gorakhpur, Gopalganj, Motihari, Muzaffarpur	12	12	12	935	235	1182
18	Delhi to Purnea	Noida, Agra, Lucknow, Gorakhpur, Gopalganj, Muzaffarpur, Darbhanga, Forbisganj	12	12	12	935	443	1390

Proposed Routes of Buses to ply between Delhi and Bihar under Reciprocal Transport Agreement (Annexure -B)

Sl. No.	Route Name	Route Via	Permit Quota		Route Distance			Total (km)
			Delhi	Bihar	Delhi	UP	Bihar	
1	Arariya to Delhi	Forbisganj, Darbhanga, Muzaffarpur, Chakia, Gopalganj, Gorakhpur, Lucknow, Agra, Noida	12	12	12	933	403	1348
2	Biharsharif to Delhi	Patna, Ara, Buxar, Ajamgarh, Lucknow, Agra, Noida	12	12	12	907	190	1109
3	Bhagalpur to Delhi	Munger, Fathua, Mohania, Varanasi, Kanpur, Agra, Noida	12	12	12	834	434	1280
4	Buxar to Delhi	Ajamgarh, Lucknow, Bareli, Moradabad, Hapur	12	12	12	898	5	915
5	Darbhanga to Delhi	Muzaffarpur, Ara, Mohniya, Varanasi, Fatehpur, Itawa, Mathura, Noida	12	12	12	833	322	1167
6	East Champaran to Delhi	Motihari, Gopalganj, Gorakhpur, Lucknow, Itawa, Mathura, Noida	12	12	12	935	96	1043
7	Gaya ji to Delhi	Daudnagar, Buxar, Lucknow, Noida	12	12	12	907	159	1078
8	Gaya ji to Delhi	Aurangabad, Mohniya, Kanpur, Itawa, Agra, Noida	12	12	12	833	197	1042
9	Kishanganj to Delhi	Araria, Purnea, Darbhanga, Deoria, Gorakhpur, Lucknow, Agra	12	12	12	833	571	1416
10	Madhubani to Delhi	Darbhanga, Muzaffarpur, Gopalganj, Gorakhpur, Lucknow, Agra, Noida	12	12	12	935	251	1198
11	Muzaffarpur to Delhi	Motihari, Gopalganj, Gorakhpur, Lucknow, Mathura, Noida	12	12	12	934	164	1110
12	Muzaffarpur to Delhi	Hajipur, Ara, Mohniya, Varanasi, Prayagraj, Kanpur, Agra, Noida	12	12	12	830	278	1120
13	Nawada to Delhi	Gaya Ji, Dobhi, Aurangabad, Chandoli, Agra, Noida	12	12	12	930	264	1206
14	Patna to Delhi	Ara, Buxar, Lucknow, Agra, Mathura, Noida	12	12	12	905	142	1059
15	Patna to Delhi	Ara, Mohniya, Varanasi, Prayagraj, Kanpur, Itawa, Agra, Mathura, Noida	12	12	12	831	219	1062
16	Patna to Delhi	Chapra, Siwan, Ajamgarh, Lucknow, Aligarh, Noida	12	12	12	857	176	1045
17	Patna to Delhi	Muzaffarpur, Motihari, Gopalganj, Gorakhpur, Lucknow, Mathura, Noida	12	12	12	935	235	1182
18	Purnea to Delhi	Forbisganj, Darbhanga, Muzaffarpur, Gopalganj, Gorakhpur, Lucknow, Agra, Noida	12	12	12	935	443	1390